भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 891
दिनांक 21 **जुलाई**, 2022

एण्णूर, चेन्नई पर एलएनजी टर्मिनल

891. **श्री टी.आर. बालू:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नई में एण्णूर स्थित लिक्विफाइड़ नेचुरल गैस (एलएनजी) टर्मिनल अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) अप्रैल से अक्टूबर 2021 तक आपूर्ति की गई रीगेसीफाइड़ गैस की मात्रा कितनी है और नेचुरल गैस के उपभोक्ताओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या एण्णूर एलएनजी टर्मिनल आयात और विक्रय में अपनी रेटेड क्षमता प्राप्त करने में असमर्थ रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय प्रस्तावित है;
(घ) क्या घरेलू उपभोक्ताओं और चेन्नई, श्रीपेरम्बुदूर, कांचीपुरम, अवदी एवं तंबरम शहरों में शहरी बस यातायात को पाइप द्वारा गैस की आपूर्ति करने में कोई विलंब हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा उक्त सेवाएं कब तक प्रारम्भ की जाएंगी?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): एन्नौर स्थित एलएनजी टर्मिनल क्षमता के ऐसे स्तर पर कार्य कर रहा है जिसमें एन्नौर-तुतिकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के प्रचालनरत होने और ग्राहकों की संबद्धता के अनुसार वृद्धि हो रही है। अप्रैल से अक्तूबर, 2021 में आपूर्ति की गई पुनगैसीकृत गैस की मात्रा 0.408 मिलियन मीट्रिक टन है। इस गैस की आपूर्ति उर्वरक संयंत्र, रिफाइनरी तथा पेट्रोरसायन उद्योगों तथा नगर गैस वितरण (सीजीडी) उपभोक्ताओं को की जा रही है।

(घ) और (ड.): पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन उपलब्ध कराना और संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशनों की स्थापना करना सीजीडी नेटवर्क के विकास का हिस्सा है और यह कार्य पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा प्राधिकृत कंपिनयों द्वारा किया जाता है। तांबरम, अवदी और चैन्ने जिले चैन्ने व तिरूवाल्लुर भौगोलिक क्षेत्र (जीए) के अंतर्गत आते हैं, जिसके लिए टोरंट गैस चैन्ने प्राइवेट लिमिटेड को प्राधिकृत किया गया है तथा श्रीपेरूमबुदूर और कांचीपुरम जिले कांचीपुरम जीए के अंतर्गत आते हैं जिसके लिए एजीपी सीजीडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को प्राधिकृत किया गया है। ये कंपनियां पीएनजीआरबी द्वारा निर्धारित न्यूनतम कार्य कार्यक्रम और प्राधिकृत समय सीमा के अनुसार सीएनजी स्टेशनों की स्थापना कर रही हैं और पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध करवा रही हैं।

****